प्रेस विज्ञप्ति
22.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु सहित 31 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग में टेंडर घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26.09.2029 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में 'टेंडर घोटाले' से संबंधित भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,पंजाब सरकार के तत्कालीन मंत्री, भारत भूषण उर्फ आशु ने निविदाओं के आवंटन में चयनित ठेकेदारों का पक्ष लिया और उन्हें अधिक लाभ का वादा किया, जिससे पंजाब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कुछ सरकारी अधिकारियों सहित राजदीप सिंह नागरा, राकेश कुमार सिंगला और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उनसे रिश्वत ली गई। फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए रिश्वत के पैसे का उपयोग किया गया।

इससे पहले, ईडी ने 24.08.2023 और 04.09.2024 को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 28 स्थानों पर दो तलाशियां संचालित की थी। इसके अलावा, जांच के दौरान, भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु और उनके करीबी सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए पीएमएलए, 2002 के तहत क्रमशः 01.08.2024 और 04.09.2024 को गिरफ्तार किए गए थे और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अस्थायी रूप से 22.8 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसमें लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य हिस्सों में स्थित अचल संपत्तियां और एफडीआर, सोने के आभूषण, सोने की ईंटें और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल थीं।
आगे की जांच जारी है।